

**श्रीमती भगवती वगैरह बनाम श्रीमती छग्गू वगैरह, प्रार्थना पत्र
बाजदायरी संख्या 2018/00064, आदेश दिनांक 04.04.2018**

प्रार्थना पत्र बाजदायरी पेश हुआ। अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 03 4 व 6 की ओर से श्री अजीतसिंह राठौड़ उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाजदायरी पर बहस अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने निवेदन किया कि दिनांक 28.02.2018 को अपीलांट के अभिभाषक श्री शिव प्रकाश को आवश्यक कार्य हेतु अपने गाँव उगई जाना पड़ा इसलिए वे अपील में उपस्थित नहीं हो सकें व इसी प्रकार दूसरे साथी अभिभाषक श्री खड्ग सिंह उस दिन जुकाम बुखार से पीड़ित थे। अतः वे भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकें। वरबन्त न्यायालय हाजा द्वारा आवाज दिलवायी जाने पर अपीलांटस व उनके अभिभाषक उपस्थित नहीं होने के कारण अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दी। दिनांक 28.02.2018 को प्रार्थीगण/अपीलांट व प्रार्थीगण/अपीलांट के अभिभाषक की अनुपस्थिति उपरोक्त सद्भाविक कारणों से हुई है ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार कर अपील को पुनः रेस्टोर किया जाकर नम्बर पर दर्ज किया जाना व अपील का मैरिट पर निर्णय किया जाना न्यायहित में उचित होगा।

अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाजदायरी एवं अपील का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन हम न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार कर अपील का निर्णय गुणावगुण पर करना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 28.02.2018 को निरस्त किया जाता है व अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।